न्यायालय सहायक कलक्टर सौंख

	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हनुमानचन्द बनाम [illegible] T.N. [illegible] 2011	
18-9-17	वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता मेजर [illegible] कई बार कई-कई बार आवाज दिलवायी गई परन्तु न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा निरन्तर प्रतिवाद की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रतिवाद जप्त करते हुए निरस्त किया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रतिवाद नहीं, अदालतखर्च तथा हर्जाना के अलावा के खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल हुआ माना जाये। नकल के मुताबिक [illegible] मूल वाद के संलग्न हो। 18/9/17	

सहायक कलक्टर
सौंख